

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट-1/से0नि0/2019/

दिनांक:-


आदेश

निम्नलिखित नर्स-2/महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	सुलोचना पी.आर., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	झुंझुनू	06.04.59	26.07.82	30.04.19
2	श्रीमती कुन्जुमोल एम0सी0 महिला स्वास्थ्य दर्शिका	नागौर	28.04.59	07.12.85	30.04.19
3	द्रोपती देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भरतपुर	03.05.59	18.01.89	31.05.19
4	लक्ष्मी देवी शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भरतपुर	10.05.59	26.09.83	31.05.19
5	मल्लिका एन.वी., नर्स-2	जयपुर	10.05.59	28.04.99	31.05.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट 1/से0नि0/2019/ 501

दिनांक:- 11-4-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- 2 अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- 3 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर/अजमेर/ भरतपुर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू/नागौर/भरतपुर।
- 5 खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)/नागौर।
- 6 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना/नगर, भरतपुर।
- 7 डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग) मुख्यालय।
- 8 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 9 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 10 आदेश/निजी पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर